

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मनोज भगत

बनाम

बिहार राज्य

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 143/2018

14 सितंबर 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता घटना की तिथि पर अपने किशोर होने के आधार पर हिरासत से रिहा होने का हकदार है?

हेडनोट्स

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 – धारा 9, 15, 25, 94 – किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 – धारा 7 ए, 20 – किशोर होने के आधार पर रिहाई – अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका, जिसमें स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उसकी किशोरता की घोषणा के बाद उसकी रिहाई की मांग की गई है।

निर्णय: किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा उठाया जा सकता है और इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी और ऐसा दावा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, भले ही व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को या उससे पहले बच्चा न रहा हो - यदि कोई व्यक्ति अपराध किए जाने की तिथि पर किशोर पाया जाता है, तो किशोर को उचित आदेश और सजा पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजा जाएगा और किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश को अप्रभावी माना जाएगा - जहां धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद बोर्ड यह आदेश पारित करता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है, बोर्ड मामले की सुनवाई ऐसे अपराध पर मुकदमा चलाने के अधिकार क्षेत्र वाले बाल न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है - विधानमंडल का इरादा केवल उस व्यक्ति को लाभ प्रदान करना है जिसे अपराध की तिथि पर बच्चा घोषित किया गया है, लेकिन केवल उसकी सजा के संबंध में, दोषसिद्धि के संबंध में नहीं - यदि

दोषसिद्धि को भी अप्रभावी बनाना है तो या तो सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करना होगा न केवल 2015 अधिनियम की धारा 9 के तहत बल्कि 2015 अधिनियम की धारा 25 के तहत भी पूरी तरह से बहिष्कृत - अपीलकर्ता की दोषसिद्धि बरकरार रखी गई लेकिन उसकी सजा रद्द कर दी गई - अपीलकर्ता को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया गया। (अनुच्छेद - 15, 16, 27, 28, 31)

न्याय दृष्टान्त

पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि, पुलिस निरीक्षक द्वारा, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 846; जितेंद्र सिंह उर्फ बब्बू सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2013) 11 एससीसी 193; महेश बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 3655; सत्य देव उर्फ भूरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2020) 10 एससीसी 555; करण उर्फ फतिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2023) 5 एससीसी 504संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015; किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000

मुख्य शब्दों की सूची

किशोरावस्था के आधार पर रिहाई; वह चरण जिस पर किशोर होने का दावा किया जा सकता है ; अपराध की तिथि; किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन; बालक पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता; किशोर को दी गई कारावास की सजा।

प्रकरण से उत्पन्न

आवेदन संख्या 2/2022 (जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 9 के अंतर्गत) के माध्यम से, अपीलकर्ता की स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उसकी किशोरता की घोषणा के बाद रिहाई की मांग की गई है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री राघव प्रसाद, अधिवक्ता।

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री दिलीप कुमार सिन्हा, एपीपी।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2018 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 143**

थाना कांड सं.-22, वर्ष -1996, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज से उद्भूत

=====

मनोज भगत, पिता-स्वर्गीय बाबूलाल भगत, निवासी- गांव-चैनपुर, थाना-हथुआ, जिला-
गोपालगंज।

अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार सरकार

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राघव प्रसाद, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अ.लो.अ.

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अलोक कुमार पांडे

मौखिक निर्णय

(द्वारा:माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक : 14-09-2023

अपीलकर्ता ने पहले किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उसकी किशोरावस्था के आधार पर उसकी रिहाई की मांग की गई थी और उपरोक्त आवेदन के समर्थन में, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि पर भरोसा किया गया था।

2. इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने दिनांक 01.05.2018 को आई.ए. सं. 1006/2018 में पारित अपने आदेश के माध्यम से कहा कि इस तरह के आवेदन पर अपील की अंतिम सुनवाई के समय विचार किया जाएगा। उपरोक्त आदेश को अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अपील सं. 832/2019 के तहत चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 मई, 2019 के अपने आदेश के माध्यम से खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मामले की अंतिम सुनवाई के समय किशोर होने के आधार पर रिहाई की मांग करने वाली अंतरिम याचिका को स्थगित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि उच्च न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवेदन पर सीधे विचार करना चाहिए था। आवेदन को इसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय को वापस भेज दिया गया था।

3. यह मामला एक अन्य खंड पीठ के समक्ष फिर से दिनांक 07.08.2019 को आया, जब इस मामले को 28 अगस्त, 2019 के लिए "आदेश" शीर्षक के तहत पोस्ट किया गया था।

4. तब से, पूर्व लिखित आवेदन को अपीलकर्ता द्वारा स्थानांतरित नहीं किया गया।

5. इस बीच अपीलकर्ता ने 2023, फरवरी के महीने में अपनी सगी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत मांगी। अस्थायी जमानत की अनुमति दी गई और अपीलकर्ता ने नियत तिथि पर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद, 2000 के पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 7-ए के तहत याचिका दायर करने में गलती का एहसास करते हुए, अपीलकर्ता द्वारा आई. ए. संख्या 2/2022 (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की यू/एस 9) के माध्यम से एक नया आवेदन दायर किया गया था, जिसमें विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर अपनी किशोरता की घोषणा के बाद उसकी रिहाई की मांग की गई थी।

6. इस तरह की याचिका का जवाब देते हुए, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 27.04.2023 के आदेश के माध्यम से मामले को किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बोर्ड), गोपालगंज को अपीलकर्ता के किशोर होने के दावे के बिंदु पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजा। किशोर न्याय बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, जो अभिलेख में है।

7. प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गोपालगंज ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि वे दिनांक 08.05.2023 को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रवेश रजिस्टर, जन्म प्रमाण पत्र आदि के साथ गोपालगंज जिले के सरकारी माध्यमिक विद्यालय, जैनपुर के प्राचार्य की उपस्थिति सुनिश्चित करें। उक्त विद्यालय के प्राचार्य प्रवेश रजिस्टर, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष खुलासा किया कि अपीलकर्ता को कक्षा-2 में दिनांक 09.01.1988 को स्कूल में भर्ती कराया गया था और प्रवेश रजिस्टर में उसकी जन्म तिथि 15.01.1980 बताई गई थी। उसी प्रवेश रजिस्टर में, उनके छोटे भाई की जन्म तिथि, जिन्होंने कक्षा-1 में प्रवेश लिया था, 08.12.1984 के रूप में दर्ज की गई थी। स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के संबंध में, स्कूल के प्राचार्य ने प्रमाणित किया कि यह सही था और स्कूल के तत्कालीन प्राचार्य द्वारा जारी किया गया था।

8. बोर्ड ने अपने समक्ष लाए गए सभी दस्तावेजों की जांच की और किसी भी दस्तावेज में विशेष रूप से अपीलकर्ता की आयु के संबंध में कोई विसंगति नहीं पाया, और उसे किशोर घोषित किया गया, क्योंकि घटना की तारीख (13.01.1996) को उसकी आयु 15 वर्ष 11 माह और 29 दिन था, जिसके लिए मीरगंज थाना कांड सं. 22/1996 जांच के लिए दर्ज किया गया था।

9. हमने किशोर न्याय बोर्ड, गोपालगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया और पाया है कि उचित जांच के बाद और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की

धारा-94 में उल्लिखित दस्तावेजों के आधार पर, स्कूल ने जन्म प्रमाण पत्र की पुष्टि की है कि अपीलकर्ता घटना की तारीख तक किशोर था।

10. गोपालगंज स्थित किशोर न्याय बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन करते समय, जिसमें अपीलकर्ता को घटना की तिथि से किशोर माना गया था, हम स्वयं को कुछ असमंजस में पाते हैं क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि, पुलिस निरीक्षक, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 846 में दिए गए निर्णय में यह माना गया था कि किसी भी व्यक्ति को किशोर होने का लाभ देने के लिए स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 94 के तहत सूचीबद्ध दस्तावेजों के अंतर्गत नहीं आता है।

11. इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता का पूरा दावा विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर था, जिसमें उसकी जन्मतिथि दर्ज थी। हालांकि, जब हमने किशोर न्याय बोर्ड की रिपोर्ट का विस्तार से जांच किया, तो हमने पाया कि किशोरावस्था की ऐसी घोषणा न केवल विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर था, बल्कि विद्यालय प्रवेश रजिस्टर के आधार पर भी था। जैसा कि हम रिपोर्ट से पाते हैं, विद्यालय के प्राचार्य को उन सभी दस्तावेजों के साथ बुलाया गया था जिनकी बोर्ड द्वारा जांच की गई थी और एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया था।

12. इसलिए, यह रिपोर्ट को विश्वसनीय बनाता है।

13. हमने यह भी पाया है कि राज्य ने अपने लिखित उत्तर में इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अंतर्वर्ती आवेदन में प्रस्तुत किया गया विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें उसकी किशोरता की घोषणा और परिणामस्वरूप जेल से रिहाई की मांग की गई थी, सत्य था, लेकिन मांग की कि अपीलकर्ता की आयु के नए निर्धारण के लिए मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेजा जाए।

14. 2015 के अधिनियम की धारा-9 में एक दंडाधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है जिसे अधिनियम के तहत अधिकार नहीं दिया गया है। पूर्णता के लिए यह अनुभाग यहाँ से उद्धृत किया गया है।

“9. एक दंडाधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसे इस अधिनियम के तहत अधिकार नहीं दिया गया है-(1) जब कोई दंडाधिकारी, जो इस अधिनियम के तहत बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है, की राय है कि अपराध करने का आरोप लगाने वाला व्यक्ति और उसके सामने लाया गया व्यक्ति एक बच्चा है, तो वह बिना किसी देरी के ऐसी राय दर्ज करेगा और बच्चे को ऐसी कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ तुरंत क्षेत्राधिकार वाले बोर्ड को भेजेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर अपराध करने का आरोप है, बोर्ड के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष यह दावा करता है कि वह व्यक्ति बच्चा है या अपराध किए जाने की तिथि पर बच्चा था, या यदि न्यायालय की स्वयं यह राय है कि वह व्यक्ति अपराध किए जाने की तिथि पर बच्चा था, तो उक्त न्यायालय इसकी जाँच करेगा, ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य (परन्तु शपथ पत्र नहीं) लेगा और मामले पर निष्कर्ष दर्ज करेगा, जिसमें व्यक्ति की आयु का यथासंभव निकटतम विवरण दिया जाएगा:

बशर्ते कि ऐसा दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, और इस तरह के दावे का निर्धारण इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले बच्चा नहीं रहा हो।

(3) यदि न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और ऐसा अपराध करने की तारीख को वह बच्चा था, तो वह बच्चे को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजेगा और न्यायालय द्वारा पारित सजा, यदि कोई हो, तो उसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा।

(4) यदि इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को सुरक्षात्मक हिरासत में रखने की आवश्यकता है, जबकि उस व्यक्ति के बच्चे होने के दावे की जांच की जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को बीच की अवधि में सुरक्षा के स्थान पर रखा जा सकता है।”

15. धारा-9 का प्रावधान स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा उठाया जा सकता है और इसे मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी और इस तरह के दावे का निर्धारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, भले ही व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले बच्चा न रहा हो।

16. जैसा कि देखा जा सकता है, धारा 9 की उप-धारा (3) में आगे यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध की तिथि पर किशोर पाया जाता है, तो किशोर को उचित आदेश और सजा पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजा जाएगा और किसी भी न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश प्रभावी नहीं माना जाएगा।

17. अपीलकर्ता 2015 के अधिनियम के पूर्वकथित प्रावधानों के तहत अपनी रिहाई की मांग करता है।

18. इसके अतिरिक्त यह आग्रह किया गया है कि वह पहले से ही पिछले आठ वर्षों से जेल में है।

19. चूँकि हमने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री राघव प्रसाद के इस तर्क को ध्यान में रखा है कि वे अभी केवल उसकी किशोरता पर जोर दे रहे हैं न कि मामले के गुण-दोष पर, हमने यह भी जांच की है कि क्या वह पहले से ही अधिकतम सजा काट चुका है जो उसे 16 साल से कम उम्र में एक जघन्य अपराध करने के लिए दी जा सकती थी। हम ऐसा अधिनियम की धारा 18 में निहित प्रावधानों के कारण कह रहे हैं जो उन आदेशों को सूचीबद्ध करता है और बोर्ड द्वारा ऐसे बच्चे के संबंध में पारित किए जा सकते हैं जो कानून के उल्लंघन में पाया जाता है। धारा 18 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि जहां बोर्ड धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद एक आदेश पारित करता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है, तो बोर्ड मामले के मुकदमे को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है, जिसे इस तरह के अपराध का मुकदमा चलाने का क्षेत्राधिकार है।

20. हमारे सामने परिस्थिति यह है कि अपीलकर्ता ने कभी भी विचारण न्यायालय के समक्ष नाबालिग होने का दावा नहीं किया। इसलिए, राज्य को इस दावे का खंडन करने का कभी अवसर नहीं मिला, जिसे उन्होंने केवल उच्च न्यायालय में अपीलीय स्तर पर उठाया है। ऐसी स्थिति में, क्या यह निर्धारित करना उचित होगा कि मुकदमा स्वयं विचारण न्यायालय की क्षेत्राधिकार की कमी के कारण दोषपूर्ण था क्योंकि केवल जिले का किशोर न्याय बोर्ड अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर अपराध की जांच कर सकता था? इस विकल्प के लिए पूरी कार्यवाही को रद्द करने की आवश्यकता होगी।

21. हम उक्त मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला से एक संकेत लेते हैं, हालांकि ऐसे सभी निर्णय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत दिए गए हैं। जितेंद्र सिंह उर्फ बब्बू सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2013) 11 एस. सी. सी. 193, में सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने दोषसिद्धि की पुष्टि

की थी, लेकिन अपीलकर्ता पर लगाए जा सकने वाले सजा/जुर्माने की उचित मात्रा और पीड़ित के परिवार को दिए जा सकने वाले मुआवजे का निर्धारण करने के लिए मामले को किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया था। पीठ ने कहा था कि किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण की धारा 20 को ध्यान में रखते हुए बाल) अधिनियम, 2000 की धारा 20, जो 2015 के अधिनियम के तहत धारा 25 है, जो लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है, यह स्पष्ट है कि किशोर के मामले की योग्यता के आधार पर जांच की जानी चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि किशोर कथित अपराध के लिए दोषी है, तो उसे दंडित किए बिना नहीं जाने देना चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि जैसा कि कानून है, उसे जो सजा दी जाएगी, उसे अधिनियम के तहत गठित किशोर न्याय बोर्ड पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

22. हम जितेंद्र सिंह मामले में दिए गए फैसले के कंडिका सं. 28, 29 और 30 को उद्धृत करना आवश्यक समझते हैं (उपरोक्त)।

“28. उपरोक्त चर्चा का सार यह है कि कुछ मामलों में इस न्यायालय ने किशोर को कथित रूप से उसके द्वारा किए गए अपराध का दोषी पाया है, लेकिन उसे लगभग कोई सजा नहीं मिली है क्योंकि इस न्यायालय ने उसे दी गई सजा को रद्द कर दिया है। मामलों के एक अन्य समूह में, इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर यह विचार किया है कि किशोर को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए पर्याप्त रूप से दंडित किया जाता है और कुछ अवधि के लिए हिरासत में रखा जाता है। तीसरे सेट के मामलों में, इस न्यायालय ने पूरे मामले को क्षेत्राधिकार वाले किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचार के लिए भेज दिया है, जिसमें किशोर की निर्दोषता या दोष, और साथ ही साथ किशोर के दोषी पाए जाने पर दी जाने वाली सजा पर भी विचार किया जाएगा। चौथे मामले में, इस न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच की है और किशोर को अपराध का

दोषी पाए जाने के बाद, सजा सुनाए जाने पर मामले को क्षेत्राधिकार वाले किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया है।

29. हमारी राय में, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 20 में गोद लेने की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है।

30. यह स्पष्ट है कि किशोर के मामले की योग्यता के आधार पर जांच की जानी चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि किशोर कथित रूप से किए गए अपराध का दोषी है, तो उसे दण्डित किए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। हालाँकि, जैसा कि कानून है, उसे दी जाने वाली सजा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत गठित किशोर न्याय बोर्ड पर छोड़ दी जानी चाहिए। यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 20 की स्पष्ट आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, अश्विनी कुमार सक्सेना [(2012) 9 एस. सी. सी. 750] का पालन किया जाना चाहिए।”

23. 2015 अधिनियम की धारा 25 में निहित प्रावधान 2000 अधिनियम की धारा 20 की विषय-वस्तु के समरूप है। 2015 के अधिनियम की धारा 25 नीचे उद्धृत की गई है;

“25. इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी भी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित किसी बच्चे के संबंध में सभी कार्यवाहियों को उस बोर्ड या न्यायालय में जारी रखा जाएगा जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था।”

24. उसी फैसले में, यह भी स्पष्ट किया गया था कि 2000 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो इस आधार पर किशोर की दोषसिद्धि को दरकिनार करने के लिए किसी भी दायित्व का सुझाव देता हो कि अपराध करने की तारीख पर, वह एक किशोर था और इसलिए

एक साधारण आपराधिक न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य नहीं था। उपरोक्त बातों को लागू करते हुए, बेंच ने कहा कि यह निर्धारित करना उचित होगा कि कानून, जहां तक बोर्ड को संदर्भित करने की आवश्यकता है, आवश्यकता वाले विधानमंडल की ओर से किसी भी इरादे को आवश्यक निहितार्थ से बाहर करता है। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि को दरकिनार करने के लिए न्यायालय ने आगे कहा कि संसद किशोर को दी गई कारावास की सजा को रद्द करने और बोर्ड को विशेष रूप से या निहितार्थ के बिना संदर्भित करने के साथ संतुष्ट थी, जिसमें संबंधित न्यायालय को दोषसिद्धि को बदलने या रद्द करने की आवश्यकता थी।

25. शायद यही कारण पाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में संबंधित न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि में हस्तक्षेप किए बिना किशोर को दी गई सजा को रद्द कर दिया था और इस तरह अधिनियम 2000 की धारा 7-ए (2) के अधिदेश का पालन किया था।

26. इसी तरह का विचार सर्वोच्च न्यायालय ने **महेश बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य**, 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 3655 और **सत्य देव उर्फ भूरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (2020) 10 एससीसी 555 में व्यक्त किया था।

27. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7-ए और 20 में निहित प्रावधानों को धारा 9 और 25 में दोहराया गया है। 2015 के अधिनियम की धारा 25 को सीधे पढ़ने पर, यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि विधानमंडल का इरादा केवल उस व्यक्ति को लाभ पहुँचाना है जिसे अपराध की तारीख को बच्चा घोषित किया गया है, लेकिन केवल उसकी सजा के संबंध में दोषसिद्धि के संबंध में नहीं (**करण उर्फ फातिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, (2023) 5 एससीसी 504 के संदर्भ से)।

28. यदि दोषसिद्धि को भी अप्रभावी बनाना है तो सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार को न केवल 2015 के अधिनियम की धारा 9 के तहत बल्कि 2015 के अधिनियम की धारा 25 के तहत भी पूरी तरह से बाहर करना होगा।

29. धारा 25 का आशय स्पष्ट है कि 2015 अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी कार्यवाही उस बोर्ड या न्यायालय में उसी प्रकार जारी रहेगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित ही न हुआ हो।

30. चूंकि वर्तमान याचिका में दोषसिद्धि को चुनौती दी गई है, लेकिन अपीलकर्ता ने, हम दोहराते हैं, केवल घटना की तारीख को अपनी किशोरता के आधार पर अपनी रिहाई की मांग की है, इसलिए दावा सजा के सवाल पर है जिसके लिए 2015 के अधिनियम का प्रावधान लागू किया जाएगा। कोई भी अन्य व्याख्या उस अपीलकर्ता को छूट देने के बराबर होगी जिसने एक जघन्य अपराध किया है, जो 2015 के अधिनियम का उद्देश्य नहीं है।

31. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हैं लेकिन उसकी सजा को दरकिनार करते हैं।

32. चूंकि अपीलकर्ता की आयु अब चालीस (40) वर्ष से अधिक है, इसलिए उसे किशोर न्याय बोर्ड या किसी अन्य बाल देखभाल सुविधा या संस्थान में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

33. वह न्यायिक हिरासत में है।

34. यदि उसे हिरासत में नहीं लिया गया है या किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

35. अपीलकर्ता के मामले में आक्षेपित निर्णय को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

36. यदि कोई अंतर्वर्ती आवेदन हो, तो उसका भी तदनुसार निपटारा कर दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

ऋषि/शहजाद

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा। पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 2018 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 143